ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 83

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1664.55	...	1664.55	2310.36	...	2310.36	1831.89	...	1831.89	2511.40	...	2511.40
वसूलियां	*-6.13*	...	-6.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1658.42**	**...**	**1658.42**	**2310.36**	**...**	**2310.36**	**1831.89**	**...**	**1831.89**	**2511.40**	**...**	**2511.40**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	9.16	...	9.16	9.89	...	9.89	9.89	...	9.89	10.40	...	10.40
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया संबंधी पहल-भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि रिकार्ड के आधुनिकिकरण का कार्यक्रम	138.53	...	138.53	150.00	...	150.00	100.00	...	100.00	250.00	...	250.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम												
3.01 कार्यक्रम घटक	1488.78	...	1488.78	2045.47	...	2045.47	1700.00	...	1700.00	2146.00	...	2146.00
3.02 इ ए पी घटक	21.95	...	21.95	105.00	...	105.00	22.00	...	22.00	105.00	...	105.00
जोड़- एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम	*1510.73*	...	*1510.73*	*2150.47*	...	*2150.47*	*1722.00*	...	*1722.00*	*2251.00*	...	*2251.00*
कुल जोड़	***1658.42***	***...***	***1658.42***	***2310.36***	***...***	***2310.36***	***1831.89***	***...***	***1831.89***	***2511.40***	***...***	***2511.40***
ख. योजना परिव्यय												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	19.14	...	19.14	38.25	...	38.25	24.80	...	24.80	38.25	...	38.25

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. भू सुधार	138.53	...	138.53	135.00	...	135.00	90.00	...	90.00	225.00	...	225.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	9.16	...	9.16	9.89	...	9.89	9.89	...	9.89	10.40	...	10.40
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**166.83**	**...**	**166.83**	**183.14**	**...**	**183.14**	**124.69**	**...**	**124.69**	**273.65**	**...**	**273.65**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	220.00	...	220.00	180.00	...	180.00	250.10	...	250.10
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1491.59	...	1491.59	1907.22	...	1907.22	1527.20	...	1527.20	1987.65	...	1987.65
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**1491.59**	**...**	**1491.59**	**2127.22**	**...**	**2127.22**	**1707.20**	**...**	**1707.20**	**2237.75**	**...**	**2237.75**
कुल जोड़	**1658.42**	**...**	**1658.42**	**2310.36**	**...**	**2310.36**	**1831.89**	**...**	**1831.89**	**2511.40**	**...**	**2511.40**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग की सचिवालयीय आर्थिक सेवाओं पर व्यय के लिए किया गया है।

2. **भूमि रिकार्ड के आधुनिकिकरण का कार्यक्रम:** डीआईएलआरएमपी के तत्वावधान में एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली: भूमि संसाधन विभाग का ध्यान, प्रयास और जोर यह है कि डीआईएलआरएमपी के तत्वावधान में उचित समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए जो अन्य देशों के साथ-साथ भूमि पर वास्तविक समय की जानकारी में सुधार करेगी, (बी) भूमि संसाधनों का उपयोग अनुकूलित करे, (सी) दोनों जमीन मालिकों और प्रॉस्पेक्टर्स, (डी) नीति और योजना में सहायता, (ई) जमीन के विवादों को कम करने और (एफ) धोखाधड़ी / बेनामी लेनदेन को जांचने और सभी उपलब्ध सुविधाओं के लिए ऑनलाइन एकल-खिड़की एक-एक नजर प्रदान करते हैं , जमींदार, संबंधित अधिकारियों / एजेंसियों और इच्छुक व्यक्ति / उद्यमी आदि के लिए किसी भी भूखंड की उचित स्थिति देने के लिए प्रासंगिक जानकारी।

3. **एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम:** प्रधान मंत्री कृषि सिंचै योजना के जलस्तर विकास घटक पर संक्षिप्त टिप्पणी: एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) को 2015-16 में एक वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के रूप में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) में मिला दिया गया था। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई मुख्य रूप से निवल जोत क्षेत्र और कृषि योग्य बंजरभूमि के वर्षासिंचित हिस्सों के विकास के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यकलापों में अन्य के साथ-साथ रिज क्षेत्र निरूपण, जल निकास लाइन निरूपण, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास, सम्पत्तिविहीन लोगों के लिए आजीविका, आदि शामिल हैं। व्यवस्थागत सुधार के रूप में, अन्य के साथ-साथ डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के औपचारिक कंप्लिशन और क्लोजर के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है ताकि (a) अपूर्ण कार्यों को विधिवत पूरा करना (यदि कोई हो), (b) रखरखाव,(c) सुरक्षा, (d) स्थिरता और (e) परियोजनाओं का उचित, शीघ्र और कम-लागत पर /किफायती सम्पूर्ण मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले कि परियोजनाओं को औपचारिक रूप से बंद हुआ माना जाए, राज्यों द्वारा प्रोटोकॉल का विधिवत पालन किया जाना है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, विश्व-बैंक सहायता प्राप्त नीरांचल परियोजना को 9 राज्यों में 18 चुनिंदा जिलों पर केंद्रित प्रयासों के साथ व्यावसायिक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। नीरांचल और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के बीच सहक्रियाशीलता और समन्वय के लिए व्यवस्थागत सुधार लागू किए गए हैं। सीमित उपलब्ध अधिकारियों में से उपयुक्त प्रशासनिक प्रणालियां स्थापित की गई हैं। 10-11-2016 को किए गए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान (एनआईएच) को एक कार्यान्वयन साझेदार के तौर पर नियुक्त किया गया है। वन अनुसंधान संस्थान को क्षमता संवर्धन सहायता एजेंसी के तौर पर नियुक्त करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है।